न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/99/2019 दर्ज तिथि 15.07.2019

1. आनन्दी लाल पुत्र नानछा जाति मीना निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

.....असल प्रतिवादी

1. छोटेलाल पुत्र नानछा
2. लक्ष्मण पुत्र नानछा
3. जयराम पुत्र नानछा
4. जम्बूरी पुत्री नानछा
5. नाथी पुत्री रामपाल
6. सुजा पुत्री रामपाल

समस्त जातियान मीना निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित.....
वादी अधिवक्ताः– रामफूल मीना
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी तथा तरतीबी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 977/0.26 है0 वाके ग्राम पिपलाई तहसील थानागाजी का मुताबिक हाल राजस्व इन्द्राज हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी तथा तरतीबी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज गैर खातेदार श्रेणी को खातेदार श्रेणी में परिवर्तित कराते हुए राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी जिलवर

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः– 15.07.2019

वाद संख्याः– 01/99/2019

1. आनन्दी लाल पुत्र नानछा जाति मीना निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

..........असल प्रतिवादी

1. छोटेलाल पुत्र नानछा
2. लक्ष्मण पुत्र नानछा
3. जयराम पुत्र नानछा
4. जम्बूरी पुत्री नानछा
5. नाथी पुत्री रामपाल
6. सुजा पुत्री रामपाल

समस्त जातियान मीना निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..........तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित........

वादी अधिवक्ताः– रामफूल मीना

प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.02.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा नम्बर 977/0.26 है0, वाके ग्राम पिपलाई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 977/0.26 है0 बन्दौबस्त संवत–2060 द्वारा साबिक खसरा संख्या 893/01 बीघा 01 बिस्वा से कायम किया गया है तथा बन्दौबस्त संवत–2028 द्वारा साबिक खसरा संख्या 464/01 बीघा 01 बिस्वा से कायम किया गया है। उक्त आराजी के साबिक खसरा संख्या 464/01 बीघा 01 बिस्वा पर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी काबिज काश्तकार गैर–खातेदार है। उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी का पिता रामपाल तथा नानछा बंदोबस्त संवत्–2013 से 2018 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का पिता एवं वादी विगत 50 वर्षो से आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में वादी ने निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर–खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम किये गयेः–

तनकीयात

1. *आया विवादित आराजी खसरा संख्या 977/0.26 है0 का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार घोषणा कराने के अधिकारी है।*

   ....वादी

2. *अन्य दादरसी।*

   ....उभयपक्षकारान

3. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गयेः–

   1. जमाबन्दी संवत्–2073–76 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–06)
   2. जमाबन्दी संवत्–2012 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–04)
   3. जमाबन्दी संवत्–2004 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–05)
   4. मिसल बन्दौबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–01)
   5. मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–20[illegible] वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–02)
   6. मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2[illegible] वा[illegible] ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–03)

4. वादी ने अपने दावे के समर्थन में [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शा[illegible] पत्रावली किये गयेः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

1. आनन्दी लाल पुत्र नानछा उम्र–54 साल जाति मीना निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–01)
2. छोटलाल पुत्र मांगू उम्र 58 साल जाति जोगी निवासी पिपलाई तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–02)

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी के साबिक खसरा संख्या 464/01 बीघा 01 बिस्वा पर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी काबिज काश्तकार गैर–खातेदार है। उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी का पिता रामपाल तथा नानछा बंदोबस्त संवत्–2013 से 2018 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का पिता एवं वादी विगत 50 वर्षो से आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त होने के कारण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में वादी ने निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर–खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। वादी ने अपने दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जो कि शामिल पत्रावली किये:–

1. आर.आर.टी.–2007(1) पेज सं0 599 उनवान नाथूराम बनाम सरकार

6. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:–

आया विवादित आराजी खसरा संख्या 977/0.26 है0 का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार घोषणा कराने के अधिकारी है।

7. पत्रावली पर प्रथम तनकी में वादी द्वारा आराजी मुतनाजा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रथम तनकी को सिद्ध करने के भार वादी पर है।

8. प्रकरण में प्रथम तनकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

***15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as an allottee, sub-tenant of Khudkasht or who is after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than as a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with,*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement, made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय प्रत्येक काश्तकार बतौर खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक प्रदर्श–07 इस प्रकार है:–

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	श्रेणी	जाति	खसरा	रकबा
1.	आनन्दी लाल पुत्र नानछा	1/16	गैर–खातेदार	मीना	977	0.26 है0
2.	छोटेलाल पुत्र नानछा	1/16				
3.	जम्बूरी पुत्री रामपाल	1/4				
4.	जयराम पुत्र नानछा	1/16				
5.	लक्ष्मण पुत्र नानछा	1/16				
6.	सुजा पुत्र रामपाल	1/4				
7.	नाथी पुत्री रामपाल	1/4				
कुल किता व रकबा					01	0.26 है0

10. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–03) तथा मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–02) का विवरण इस प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत्–2060	बन्दोबस्त संवत्–2028
हाल खसरा	साबिक / हाल खसरा	साबिक
977 / 0.26 है0	893 / 01 बीघा 01 बिस्वा	964 / 01 बीघा 01 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

11. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2004 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–05) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतोनी	मालिक	काश्तकार	खसरा	रकबा
395	बसीगे उदक सुव्वालाल पिसर मुतबना तबला रामप्रसाद कौम ब्राह्मण साकिन अजबगढ माफीदार	रामपाल वल्द गोविन्दा कौम मीना साकिन देह गैर मौरूसी	462	15 बिस्वा
			464	01 बीघा 01 बिस्वा
			467	01 बीघा 03 बिस्वा

12. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2012 (प्रदर्श–04) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतोनी	मालिक	काश्तकार	खसरा	रकबा
395	बसीगे उदक सुव्वालाल पिसर मुतबना तबला रामप्रसाद कौम ब्राह्मण साकिन अजबगढ माफीदार	रामपाल वल्द गोविन्दा कौम मीना साकिन देह गैर मौरूसी बकाश्त मु. मन्नी वो ग्यारसी बेवा रामपाल मीना साकिन देह बहिस्से बराबर गैर मोरूसी	462	15 बिस्वा
			464	01 बीघा 01 बिस्वा

13. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत्–2004 वाकै ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–05) तथा जमाबन्दी संवत्–2012 (प्रदर्श–04) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर [illegible]तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही [illegible] ग्राम पिपलाई (प्रदर्श–01) के अवलोकन से [illegible] आराजी [illegible]ताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्[illegible] पर राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

14. उपरोक्त दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इसके समर्थन में वादी द्वारा 02 गवाह बतोर साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। इन गवाहों के हलफनामा एवं जिरह के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी व उसके पूर्वज मुतनाजा आराजी पर विगत करीब 50 वर्षो से कृषि काश्त करता आ रहा है तथा आज भी अविवादित कब्जा रखते हुये कृषि कार्य कर रहा है।

15. प्रकरण में न्यायालय द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/70 दिनांक 24.01.2022 द्वारा तहसीलदार थानागाजी से कब्जा मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा पत्रांक/आर.ए./2022/632 दिनांक 28.02.2022 द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट के बिन्दु–2 का विवरण इस प्रकार हैः–

उक्त आराजी गैर खातेदार रूप में दर्ज है तथा वादी कृषकों द्वारा फसल बोई हुई है। यह सही है।

16. उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 06 अनुसार वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 01 लगायत 02, तथा नायब तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से वादी का वर्तमान में मुतनाजा आराजी पर कब्जे काश्त स्पष्ट होती है। अतः वादी अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के पक्ष में तनकी संख्या 01 द्वारा प्रभारित दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा है।

17. वादी द्वारा दौराने बहस माननीय राजस्व मंडल अजमेर का एक न्यायिक दृष्टांत *आर.आर.टी.–2007(1) पेज सं0 599 उनवान नाथूराम बनाम सरकार* प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी का प्रकरण यह था कि श्योलाल ने न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष बाबत इस्तकराहक्क एक दावा पेश [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी उपकृषक काश्तकार के रूप में दर्ज [illegible] होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें। न्यायालय [illegible] द्वारा वादी श्योलाल के पक्ष में आंशिक अनुतोष देकर निर्णय दिया [illegible] प्रकरण में वाद पत्र में पक्षकार नत्थूराम ने निगरानी माननीय राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने निगरानी खारीज की। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रासंगिक पैरा–6 का उद्धरण इस प्रकार है:–

*6. **अधिनियम की धारा 15 एएए के प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों का नाम अधिनियम लागू होने के समय जमाबंदी में अथवा भू–प्रबंधन विभाग द्वारा धारा 106 एवं 107 के अन्तर्गत तैयार किये गये अभिलेख में काश्तकार, उपकाश्तकार, मौरूसी काश्तकार आदि के रूप में दर्ज थे, उन्हें धारा 15 एएए की उपधारा 2 के अनुसार स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये।** परन्तु यदि अन्य किसी दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना है तो अधिनियम की धारा 15 एएए (3) के प्रावधानों के तहत दिये जा सकते है। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है वह धारा 15 एएए(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत आते है न कि धारा 15 एएए की उपधारा (2ए) के अन्तर्गत। धारा 15 एएए(3) के अन्तर्गत तहसीलदार खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये सक्षम नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व प्रकरण सहायक जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2002 तहसीलदार पीलीबंगा का निर्णय दिनांक 30.11.1974 निरस्त किये जाते है। प्रार्थीगण को पूर्व में यदि विवादित भूमि का आवंटन किया गया है तो सम्बंधित नियमों की शर्तो के अधीन प्रार्थीगण अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र रहेगें।*

18. वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अनुतोष का मुख्य आधार है कि वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा उक्त तथ्य को पुनः स्पष्ट करते हुय निगरानी निस्तारित की। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होता प्रतीत होता है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के तहत दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 06 अनुसार वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी के पूर्वज काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू.–01 लगायत 02, तथा नायब तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से वादी का वर्तमान में मुतनाजा आराजी [illegible] स्पष्ट होती है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त [illegible] रण पर सटीक चस्पा होता प्रतीत होता है। इस तरह उपरोक्त प्रकार से [illegible] तनकी संख्या–1 को साबित करने में सफल रहा है। [illegible] वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई अनुतोष शेष [illegible] रहने के कारण तनकी–2 पर पृथक से विवेचन आवश्यक नही है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी तथा तरतीबी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 977/0.26 है0 वाके ग्राम पिपलाई तहसील थानागाजी का मुताबिक हाल राजस्व इन्द्राज हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी तथा तरतीबी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज गैर खातेदार श्रेणी को खातेदार श्रेणी में परिवर्तित कराते हुए राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 31.01.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner